

( आठ 20 नियम 6 / जा0दी0 )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान  
वईजलास श्री सी. एल. शर्मा ( आर0ए0एस0 )

अनवान प्रकरण

श्री बख्त ज० श्री हजारी गुर्जर निवासी - लसाडिया, तहसील - माण्डल  
श्री अराजी ज० श्री हजारी गुर्जर निवासी - लसाडिया, तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

1. श्री लाडु ज० सवाईराम कुम्हार निवासी - लसाडिया, तहसील - माण्डल
2. श्री उदा ज० सवाईराम कुम्हार निवासी — " —
3. श्री माधु ज० सवाईराम कुम्हार निवासी — " —
4. श्री लादी पुत्री डालु कुम्हार निवासी — " —
5. श्री मती मोहनी पत्नी डालु कुम्हार निवासी — " —
6. श्री भागीरथ पिता मोती कुम्हार निवासी — " —
7. राजस्थान राज्य जरिमे तहसीलदार माण्डल, त० माण्डल प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 मुकदमा नं० / वष 01/18 निर्णय दिनांक 25.5.18

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कर्तव्य स्थान अदालत व हिजरी दकोल वादी  
मिनजानिव मुदवई व श्री अक़ुलख़ादि पटान A.O. लामिव मुदावला पेश होकर हुकम  
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम

लसाडिया पत्वार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल जिला - भीलवाड़ा में  
स्थित अराजी सर्. 413, 414 है। तहसीलदार माण्डल को मौका कमीशनर  
नियुक्त कर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार  
पैमाईश कर (लाप-चौप) वादीगण को उनके व प्रतिवादीगण को उनके  
हक हिस्सेनुसार जमीन सपुर्द की जाये।

शर्चा करिकेन अपना-अपना बहम करे।

आज तारीख 25.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मोहर से जारी की  
गई।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला - भीलवाड़ा